

Office of the Director of Income Tax (Exemption)

दसरी मंजिल380009-अहमदाबाद ,रोड आश्रम ,बिल्डिंग युव् नेचर ,

2ND floor, Vasant Nature View Building, Ashram Road, Ahmedabad 380009

फा.सं.आ.नि)छूट/(.अहम80/.जी(5)/311/LSF/2013-14

ता.:09/07/2013

AA पैन/PAN: AAATL8808P

नयासी /The Trustee

LIFE SKILL FOUNDATION

B-17, Florence Residency, Science City Road, Sola, Ahmedabad.-380060

रिन्युअल की स्वीकृति के लिए आवेदन -

Sub: Application for grant of Approval / renewal u/s. 80G (5) of I.T.Act, 1961 -

उपर्युक्त न्यास/संस्थान के ता......के फार्म नं 10 जी में किए गए आवेदन के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त न्यास/संस्थान को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) के तहत, उसमें दी गई सीमा के अंदर कटौती योगय हैं।

With reference to application in form No.10G made by the aforesaid trust/institution on 17/01/2013 it is certified that donations made to the trust/institution shall qualify for deduction u/s.80G (5) of the Income-tax Act, 1961, subject to the limits prescribed therein.

2. उपर्युक्त छूट ता.......... से वैद्य है । जबतक कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी पूर्व तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रद्ध नहीं किया जाता ।

This exemption is valid with effect from <u>17/01/2013</u> onwards (F.Y. 2012-13 & A.Y. 2013-14) unless cancelled by the undersigned on any prior date subject to the following conditions:-

- (i) दाताओं को जारी की गई रसीदों में इस प्रमाणपत्र के उपर्युक्त नंबर और तारीख तथा वह अवधि जिसके लिए यह वैद्य है, का उल्लेख करें।

 Receipts issued to the donors should bear the number and date of this certificate and indicate the period for which this certificate is valid.
- (ii) उपर्युक्त न्यासी को आयकर अधिनियम 1961 .की धारा 2(15), 11, 12, 13 एवं 80 जी की प्रावधानों का पालन करते रहना चाहिए।
 - The aforesaid entity should continue to fulfill the requirements of section 2(15), 11, 12, 13 and 80G of the LT Act, 1961.
- (iii) आयकर अधिनियम 1961 ,की धारा 4)139A)/(4C)/(4D) के तहत आडिट रिपोर्ट के साथ, जहाँ लागू हो, सम्बंधित निर्धारण अधिकारी को नियम तारीख तक आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं बेलेन्स-शीट के साथ आयकरविवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

The Statement of Income & Expenditure Account and Balance Sheet are furnished to the concerned Assessing Officer by the due date of furnishing of return of income under section 4)139A)/(4C)/(4D) of the ITAct, 1961 every year along with the audit report, wherever applicable.

